.... / थाना / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
30/1/26	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। प्रा० पत्र प्रार्थीगण स्वीकार कर अप्रार्थीगण को तारफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर प्रा० नि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तालेड़ा जिला बूंदी

(पीठासीन अधिकारी श्रीमति मनस्वी नरेश आर.ए.एस.)

मिसल नं0 178/प्रा0 पत्र/2024

तारीख दायरा 16.05.2024

तारीख फैसला 30.01.2026

1. मुस्कान आयु 15 वर्ष पुत्री राजवीर नाबालिग जर्ये संरक्षक माता मूर्ती बाई पत्नी राजवीर जाति मेघवाल निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
2. मूर्ती बाई आयु 38 वर्ष पत्नी राजवीर जाति मेघवाल निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगी लाल पुत्र कंवर लाल आयु वयस्क जाति मेघवाल नि0 ग्राम लाडपुर तह0 तालेड़ा जिला बुन्दी, राज.।
2. धन्ना लाल पुत्र मांगी लाल आयु वयस्क जाति मेघवाल नि0 ग्राम लाडपुर तह0 तालेड़ा जिला बुन्दी, राज.।
3. मोहन पुत्र मांगी लाल आयु वयस्क जाति मेघवाल निवासी ग्राम लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राज.।
4. कमलेश पुत्री मांगी लाल आयु वयस्क जाति मेघवाल नि0 ग्राम लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राज.।
5. कल्याणी पुत्री मांगी लाल आयु वयस्क जाति मेघवाल नि0 ग्राम लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राज.।
6. राजस्थान राज्य जर्ये उप पंजीयक तालेड़ा तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।
7. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

अधिवक्ता प्रार्थी :- श्री नन्दसिंह सौलंकी

अधिवक्ता अप्रार्थीगण :- श्री हिम्मत सिंह

- : : निर्णय : : -

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा सं0 47 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 रकबा 1.2221 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 1.8777 हैक्टेयर, खसरा संख्या 52 रकबा 0.4128 हैक्टेयर वाके ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बून्दी, राजस्थान मे स्थित है। उपरोक्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मे अप्रार्थी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा निहित है इसी प्रकार कृषि भूमि खसरा संख्या 341 रकबा 1.2869 हैक्टेयर, खसरा संख्या 551 रकबा 0.2914 हैक्टेयर वाके ग्राम भूमाखेड़ा पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बुन्दी, राजस्थान उपरोक्त कृषि भूमि की वर्तमान जमाबन्दी मे अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार दर्ज है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थीगण की पैतृक कृषि भूमि है। प्रार्थीगण क्रमशः अप्रार्थी संख्या 1 के मृत पुत्र राजवीर की पुत्री एंव पत्नी है। अप्रार्थी सख्या 1 के द्वारा अपने मृत पुत्र की जीवित अवस्था मे ही अपने तीनों पुत्रों के मध्य प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि का आपसी सहमति से पंच पटेलों की उपस्थिति मे बंटवारा कर दिया था तथा मौके पर कब्जा सुपूर्द कर दिया था। पारिवारिक बंटवारे मे प्रार्थीगण के पिता एवं पति राजवीर को कृषि भूमि खसरा सं0 341 रकबा 1.2869 हैक्टेयर मे से 5 बीघा भूमि बंटवारे मे प्राप्त हुई थी। जिस पर वर्तमान मे प्रार्थीगण काबिज काश्त है। बंटवारें के तहत अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 3 को अन्य भूमियां प्राप्त हुई थी। अप्रार्थी संख्या 1 की पुत्रीयाँ अप्रार्थी संख्या 4 व 5 मे तत्समय अपना हक व अधिकार उपरोक्त कृषि भूमि का अपने भाईयों के हक मे त्याग दिया था इस प्रकार प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि मे 4 व 5 का कोई हक व अधिकार नही है। अप्रार्थी संख्या 1 के मन मे प्रार्थीगण के पिता व पति राजवीर की मृत्यु होने के उपरान्त बदनियती आ गई है तथा प्रार्थीगण को हिस्से मे प्राप्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है तथा पूर्व मे हुए पारिवारिक बंटवारे को भी मानने से इन्कार कर दिया है । जबकि वाद वर्णित कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि होने के कारण प्रार्थी संख्या 1 का उपरोक्त कृषि भूमि मे जन्म मे हक व अधिकार निहित है तथा प्रार्थी संख्या 2 का भी उपरोक्त कृषि भूमि अप्रार्थी संख्या 1 के मृत पुत्र राजवीर की पत्नी होने के कारण हक व अधिकार निहित है। इस प्रकार प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र मे निहित कृषि भूमि में 1/6 हिस्सा निहित है जिसकी माननीय न्यायालय से प्रार्थीगण खातेदारी अधिकार की घोषणा करवाने की अधिकारी है तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाने की अधिकारी है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 का प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 मे वर्णित भूमि मे संयुक्त रूप से 5/6 हिस्सा निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 वाद वर्णित कृषि भूमि स्वयं के खातेदारी दर्ज होने के कारण वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन, बैचान करने पर आमादा हो रहा है जिसके तहत अप्रार्थीगण दिनांक 03-04-2023 मौके पर आऐ तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के गेहूँ जबरन काटने की धमकी दी तथा वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन बैचान करने की धमकी लगाई तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी लगाई जबकि अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि रहन, बैचान करने का अधिकार नही है। इसलिए प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से अप्रार्थीगण को इस आशय की ताफैसला मूल वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने की अधिकार है कि अप्रार्थीगण वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन, बैचान भार ग्रस्त नही

... बेदखल नहीं करें, कृषि कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का वाद ... 03-04-2023 को उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण मौके पर आये तथा प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि के ... काटने की धमकी दी तथा वाद वर्णित भूमि को अन्यत्र रहन बेचान करने की धमकी लगाई तथा प्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने की धमकी लगाई तब उत्पन्न हुआ जो निरन्तर जारी है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि वाद वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थीगण हस्तातंरण नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें, अप्रार्थी संख्या 6 वाद वर्णित कृषि भूमि के किसी भी हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 7 हस्तांतरण विलेख का नामान्तकरण तस्दीक नहीं करें । प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा का सन्तूलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन, बेचान नहीं करे, हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करें, नामान्तकरण तस्दीक नहीं करें।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थीगण उपस्थित हुए किन्तु कई अवसर प्रदान करने के उपरान्त भी जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही करने पर जवाब प्रार्थना पत्र बन्द कर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण वाद वर्णित आराजी को अन्यत्र बेचान करने एवं भूमि का स्वरूप बिगाडने पर आमादा है अतः प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि माननीय न्यायालय से अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें कि वाद वर्णित कृषि भूमि को अप्रार्थीगण हस्तातंरण नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें, अप्रार्थी संख्या 6 वाद वर्णित कृषि भूमि के किसी भी हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 7 हस्तांतरण विलेख का नामान्तकरण तस्दीक नहीं करें । प्रथम दृष्टिया मामला सुविधा का सन्तूलन एंव अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रमाणित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वाद वर्णित कृषि भूमि को रहन, बेचान नहीं करे, हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करें, नामान्तकरण तस्दीक नहीं करें।

दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी अप्रार्थी सं0 1 के खातेदारी अधिकार की भूमि है एवं राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी 1 का ही नाम दर्ज रेकार्ड है अप्रार्थी द्वारा वाद वर्णित आराजी का कभी बटवारा नही किया। वाद वर्णित आराजी पर अप्रार्थी सं0 1 स्वयं ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण ने उक्त वाद मनगढ़ंत एवं आधारहीन तथ्यो के आधार पर पेश किया गया है,जिसे मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रार्थीगण मांगीलाल पुत्र कंवरया के पुत्र राजवीर के क्रमशः पुत्री एवं पत्नी होना प्रमाणित होने से मांगीलाल को प्राप्त पैतृक सम्पति में जन्मजात अधिकार प्राप्त होने से **प्रथम दृष्य्या मामला** प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होता है।

वाद वर्णित आराजी बाबत प्रार्थीगण के कथनानुसार अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने मृत पुत्र राजवीर को उसके जीवनकाल में ही कृषि भूमि हिस्सानुसार परिवार के पालन पोषण हेतु सुपुर्द की गई है एवं उस पर प्रार्थीगण काबिज काश्त है, यदि उक्त भूमि का अप्रार्थी सं. 1 द्वारा रहन बय अथवा हस्तान्तरण किया जाता है तो प्रार्थीगण की आजीविका के साधन मे समस्या उत्पन्न होगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का सन्तुलन के बिन्दु पर मनन किया जाता है जो **सुविधा का सन्तुलन** का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर मनन करने पर वाद वर्णित तथ्यो के आधार पर यदि दौराने वाद आराजी को अन्यत्र रहनबय अथवा हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण का वाद करना ही व्यर्थ हो जावेगा एवं यदि प्रार्थीगण का वाद वर्णित आराजी में अपना हक अधिकार प्रमाणित करने में सफल होते है तो ऐसी स्थिति में वाद वर्णित आराजी का रहनबय अथवा हस्तान्तरण हो जाने से लिटिगेशन बढेगा। ऐसी स्थिति में **अपूरणीय क्षति का बिन्दु** भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

आदेश

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित कृषि भूमि खसरा संख्या 47 रकबा 0.3157 हैक्टेयर, खसरा संख्या 49 रकबा 1.2221 हैक्टेयर, खसरा संख्या 50 रकबा 1.8777 हैक्टेयर, खसरा संख्या 52 रकबा 0.4128 हैक्टेयर वाके ग्राम गणेशपुरा पटवार हल्का लाडपुर एवं कृषि भूमि खसरा संख्या 341 रकबा 1.2869 हैक्टेयर, खसरा संख्या 551 रकबा 0.2914 हैक्टेयर वाके ग्राम भूमाखेड़ा पटवार हल्का लाडपुर तहसील तालेड़ा जिला बुन्दी के रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे, उक्त आराजी का हस्तातंरण नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें, अप्रार्थी संख्या 6 वाद वर्णित कृषि भूमि के किसी भी हस्तांतरण विलेख का पंजीयन नहीं करें। अप्रार्थी संख्या 7 हस्तांतरण विलेख का नामान्तकरण तस्दीक नहीं करें ।

यह निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
उपखण्ड अधिकारी
तालेडा